संख्या-35/2024/82जे0/22-5-24-300(64)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2024

विषय- जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अभि यादव पुत्र श्री गिरीश यादव के उपचार हेतु धनराशि रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1008/सामा-1(3)/22/बं0चि0धना0-अभि/24, दिनांक 08-01-2024 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-05/2024/20जे0/22-5-24-300(64)/2017, दिनांक 19-01-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अभि यादव पुत्र श्री गिरीश यादव का उपचार के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कराये जाने हेतु धनराशि रू० 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3299/सामा-1(3)/बं0चि0धना0-अभि/24, दिनांक 05-02-2024 में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत बंदी को सक्षम न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 23-01-2024 को कारागार से रिहा कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अभि यादव पुत्र श्री गिरीश यादव के उपचार हेतु धनराशि रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-05/2024/20जे0/22-5-24-300(64)/2017, दिनांक 19-01-2024 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 35/2024/82जे0(1)/22-5-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।

5- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग-12।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।